

नगर निगम शिमला

जल एवं निकास विभाग

श्री.....ने

के लिए नए पानी/सिबरेज तथा पानी/सिबरेज कुनैकशन के विस्तार हेतु आवेदन किया है। कृपया भवन में लगे पानी के कुनैकशन का विवरण दें। क्या भवन में आवेदनकर्ता/स्वामी/किराएदार है? भवन में पानी/सिबरेज कुनैकशन देने में विभाग को कोई आपत्ति है या नहीं तथा तकनीकी सिकाइणों सहित नस्ति निर्धारित समय में आपसि लौटाये :-

विभाग/अनुभाग	नस्ति प्राप्त करने की तिथि	नस्ति नियतन करने की तिथि	सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के हस्ताक्षर
1. सहायक राजस्व-II एवं मीटर रीडर			
2. अधीक्षक (राजस्व)			
3. सहायक सचिव (कर)			
4. वास्तुधार योजनाकार			
5. कनिष्ठ अभियन्ता वास्तुक योजनाकार कार्यालय			
6. कनिष्ठ अभियन्ता जल एवं निकास विभाग			
7. सहायक अभियन्ता जल एवं निकास विभाग			
8. सहायक राजस्व जल एवं निकास विभाग-I			

निगम अभियन्ता,
जल एवं निकास विभाग,
नगर निगम, शिमला।

- (1) पानी के नए धरेके व्यवसायिक कुनैवशन
- (2) नए सिवरेज कुनैवशन
- (3) पानी/सिवरेज कुनैवशन के विस्तार हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में

नियम अभियन्ता,
जल एवं निकास विभाग,
नगर नियम, शिमला।

1. भवन का नाम
2. स्थान
3. यदि भवन निर्माण का कार्य चल रहा है तो वर्तमान स्थिति क्या है ?
4. यदि नव निर्माण भवन के लिए चाहिए तो क्या भवन का नक्शा नगर नियम से स्वीकृत हो चुका है
5. यदि पुराने भवन के लिए चाहिए तो निर्माण वर्ष
6. भवन के स्वामी का नाम
7. व्यक्ति का नाम जिसने कुनैवशन के लिए आवेदन किया है
8. जिसने कुनैवशन के लिए आवेदन किया है वह मालिक है अथवा किरायेदार
9. क्या भवन नगर नियम सीमा के भीतर या बाहर आता है
10. पार्सी का ब्यास
11. (क) प्लान सिस्टम की संख्या
- (ख) पानी के नलकों की संख्या
12. पत्राचार हेतु पता (दूरभाष नं० सहित)
13. रखाई पता (दूरभाष नं० सहित)
14. यदि सिवरेज कुनैवशन चाहिए तो पानी के स्वीकृत कुनैवशन का थैरा :
(क) कुनैवशनों का खाता संख्या
- (ख) अनन्तम अदायगी रसीद की प्रतिलिपि

हस्ताक्षर
जाईवैल प्राप्त पत्रम्बर,
मोहर सहित तथा दिनांक।

कार्यालय प्रयोग हेतु

पार्सी के हस्ताक्षर

नियम अभियन्ता

स्वीकृत प्राधिकारी

पाव नोट: यह आवेदन-पत्र ट्रेसिंग प्लॉय पर साईट प्लान सहित भेजे जिसमें नगर निगम की पानी की मजदूरीकी लाईन/सिबरेज पाईपिंग तथा स्थान दर्शाया गया हो जो कि म्युनिसिपल इंजनर क्ल के अनुसार सेमीटेरी कार्य हेतु हो। पानी की लाईन विभिन्न रंगों में दर्शाई गई हो जो कि सेमीटेरी कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है।

कार्यालय प्रयोग हेतु :

कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की सिफारिश :

निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्वीकृति हेतु सिफारिश की जाती है :—

1. प्रार्थी को मीटर चांजिज के रुपयेजमा करवाने होंगे।
2. प्रार्थी को प्रतिमूति के रुपये.....जमा करवाने होंगे।
3. प्रार्थी को सिबरेज कनेक्शन चांजिज के रुपये.....जमा करवाने होंगे।
4. पानी की खपत रुपये.....प्रति 1000 लीटर वसूल किए जाएंगे।
5. रुपयेप्रति मास रख-रखाव हेतु वसूल किए जाएंगे।
6. प्रार्थी द्वारा सड़क खोदने के लिए सम्बन्धित विभाग से पूर्व अनुमति ली जाए।

सहायक अभियन्ता।

कनिष्ठ अभियन्ता।

तकनीकी सिफारिश फार्म

1. वर्तमान में पानी भालिक/किरायेदार द्वारा कहाँ से प्रयोग किया जा रहा है ?
2. कनेक्शन देने की सिफारिश करते समय सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता यह भी प्रमाणित करें कि कनेक्शन प्वाइंट से बाहर पानी की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
3. क्या प्रस्तावित कनेक्शन मेन लाईन/ब्रांच लाईन से पानी का कनेक्शन प्रस्तावित किया गया है, उस लाईन का धाकार भी विवेक रूप से बतायें ।
4. क्या यह कनेक्शन व्यवसायिक है या घरेलू ?
5. क्या श्रेष्ठ निगम सीमा में आता है या नगर निगम की सीमा से बाहर ?
6. क्या कनेक्शन देने की सिफारिश की गई है या तकनीकी कठिनाता के कारण अस्वीकार करने की सिफारिश की गई है ?

सहायक अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, जिनका-1244-नगर निगम, जिनका/2012-29-1-2013-10,000.